प्रकरण संख्या 38/2025 मांगीबाई व अन्य बनाम लोगरलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.05.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नारायणपुरा, तहसील वल्लभनगर (हाल तहसील भीण्डर) मे आराजी नम्बर 1198/631 रकबा 6 बिघा 2 विश्वा स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीया के नाम 5/354 हिस्से से , प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम 171/354, हीराबाई प्रतिवादी संख्या 6 के नाम 1/708, प्रतिवादी संख्या 7 से 10 व 13 के नाम 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 14 दीपलाल के नाम 1/708 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के नाम उपरोक्त हिस्से अनुसार दर्ज होकर काबिज चले आ रहे है। अतः निवेदन किया गया हैं कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का विधिक विभाजन बाई मीट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय दिनांक 16–06–2016 को निर्णय पारित करते हुये वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 02–04–2025 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता राजमल मेनारिया उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश त्रिवेदी/सुरेन्द्र कुमार चौबिसा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 20/2016 निर्णय दिनांक 04–09–2019 एवं अधीनस्थ न्यायालय के धारा 212 के प्रार्थना पत्र 1/2016 की आदेशिकाऐं प्रस्तुत की तथा न्यायिक निर्णय के लिए आवश्यक दस्तावेज होने से उन्हे रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested

किया।

हमने उक्त दस्तावेजो का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से उन्हे रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 11–02–2025 को नकल प्राप्त होने पर हुई। जानबूझ कर कोई विलम्ब नही किया गया है। अतः देरी को क्षमा कर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया की अपीलान्टगण कैम्प मे उपस्थित थे तथा इन्हे निर्णय की जानकारी पूर्व से ही थी फिर अपील करीब 9 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा देरी कोई ठोस कारण नही बताया है। अतः अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो पर काई गौर नहीं किया है तथा अपीलान्टगण को बिना कोई सूचना दिये तथा बिना सहमति के प्रकरण राजस्व कैम्प मे रखकर एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया। जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नही हुआ है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–06–2016 अपास्त कि जावें तथा प्रकरण विधिवत् सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिपेषित किया जावें।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुये बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विभाजन कि प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है, जो विधिसम्मत होने से अपील

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested

खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। दौराने वाद कार्यवाही कई पक्षकारों मृत्यु हो गई किन्तु उनकी नामकायमी नही कराई गई। जिससे उक्त डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित हो गई जबकि विधि अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी नही की जा सकती। इसके अलावा हम यह भी पाते है कि दिनां 16–06–2016 को कैम्प मे सभी पक्षकार उपस्थित नहीं थे तथा किसी प्रकार की सहमति नही थी। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 09/2015 में पारित निर्णय दिनांक 16–06–2016 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत् सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतो के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21–07–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 26–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested